भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1305

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022 (28 अग्रहायण, 1944 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

वायुयान सुरक्षा नियमावली, 2022

1305 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई वायुयान सुरक्षा नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र की विमानन निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने वैधानिक शक्तियों के बिना काम कर रहे तीन विनियामकों के बारे में सवाल उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, हितधारकों की आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु, दिनांक 10.11.2022 को भारत के राजपत्र में विमान सुरक्षा नियमावली, 2022 का मसौदा प्रकाशित किया गया था।

(ग) और (घ) जी नहीं। सुरक्षा विनियामक, नागर विमानन महानिदेशालय तथा संरक्षा विनियामक, नागर विमानन संरक्षा ब्यूरो को, वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत अपना कार्य करने के लिए सांविधिक प्राधिकारिता प्रदान की गई है।

विमान दुर्घटना एवं अन्वेषण ब्यूरो, यद्यपि विनियामक नहीं है, फिर भी यह विमान दुर्घटनाओं अथवा घटनाओं की जांच करने के लिए जिम्मेदार है, तथा वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत अपना कार्य करने के लिए इसे सांविधिक प्राधिकारिता प्रदान की गई है।

(ङ) और (च) जी हाँ। दिनांक 10.11.2022 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 813(ई) के माध्यम से हितधारकों से विमान सुरक्षा नियम, 2022 के मसौदे पर टिप्पणीयां मांगी गई हैं।
